भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4002

17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र के लिए योजनाएं

4002. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारी उद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकीय नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के प्रभावों के मूल्यांकन और उनके परिणाम का ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाओं के प्रभाव और परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की नई परियोजनाओं और योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि स्कीम - चरण II" को लागू कर रहा है।

इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:-

(i) एक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का निर्माण करना; (ii) प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों के उपयोग के माध्यम से विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और नवाचार हेतु एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना; (iii) मौजूदा मानव संसाधन के कौशल को बढ़ाना और इस क्षेत्र के लिए उच्च कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता का विस्तार करना; (iv) पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए उद्योग 4.0 के लिए प्रासंगिक, मजबूत और किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान करना और स्मार्ट विनिर्माण को बढ़ावा देना; और (v) पूंजीगत वस्तुओं के लिए

प्रौद्योगिकियों के प्रगतिशील स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपये है, जिसमें 975 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन और 232 करोड़ रुपये का उद्योग योगदान शामिल है।

इस स्कीम के तहत अब तक 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 7 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), 4 साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी), 6 परीक्षण और प्रमाणन केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास के लिए 9 उद्योग त्वरक और कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए योग्यता पैक तैयार करने की 3 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख): स्कीम के प्रथम चरण का तृतीय पक्ष मूल्यांकन आईआईटी-जोधपुर के निदेशक श्री एस. चौधरी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि वर्तमान स्कीम ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की तकनीकी और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को सीमित रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि, देश भर में संपूर्ण पूंजीगत वस्तु उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वर्तमान स्कीम का विस्तार करने से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर वांछित प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, 25 जनवरी, 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय ने "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि स्कीम - चरण-II" को अधिसूचित किया है।

(ग) से (च): वर्तमान स्कीम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(छ): इस स्कीम के तहत, प्रत्येक परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए परियोजना समीक्षा एवं निगरानी समिति (पीआरएमसी) का गठन किया गया है।

***